स्त्री रुग्णालय, वसमत्र, जि.हिंगोली चे ६० खाटावरुन १०० खाटाचे उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणी वर्धन झालेल्या इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता व निधी देण्याबाबत.

# महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग

शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.२१४/ आरोग्य-४ मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. दिनांक: ०६ जुलै, २०२४.

#### वाचा:-

- 9) सहसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः आआसे/ कक्ष-३/टे-६/स्त्रीरुवसमत१००खाटाबांधकाम/१३२२४-२५/२४, दि.२४.०६.२०२४.
- २) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इतिवृत्त क्र.बैठक-२०२४/प्र.क्र.४३/इमा-१, दिनांक ०६.०७.२०२४.

#### प्रस्तावना:-

स्त्री रुग्णालय, वसमत, जिल्हा हिंगोली ६० खाटावरुन १०० खाटांचे श्रेणीवर्धित रुग्णालयाच्या इमारतीच्या बांधकामाचे अंदाजपत्रक व आराखडयाचा प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यासंदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.

## शासन निर्णय:-

स्त्री रुग्णालय, वसमत, जिल्हा हिंगोली ६० खाटावरुन १०० खाटांचे श्रेणीवर्धित रुग्णालयाच्या इमारतीच्या बांधकामास मंत्रालयीन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने परिगणित केल्याप्रमाणे व उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने सोबतच्या "परिशिष्ट-अ" मध्ये दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे रु. २९९९.५० लक्ष (अक्षरी एकोणतीस कोटी नव्याण्णव लक्ष पन्नास हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

२. उपरोक्त अंदाजपत्रकास पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

## अटी व शर्ती :-

- 9) इमारतीचे आराखंडे हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग/शासकीय इमारतीच्या अनुज्ञेय मानकास अनुसरुन असण्याची खातरजमा करावी. अशा नकाशांना व वास्तुमांडणी आराखंडयास शासनाचे वास्तुशास्त्रज्ञ यांची मान्यता घेण्यात यावी.
- २) इमारत बांधकाम करण्यापूर्वी विदयुतीकरणाच्या कामासाठी मुख्य अभियंता (विदयुत) व स्थापत्यांच्या कामासाठी मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची तांत्रिक मंजुर घेण्यात यावी.

\_\_\_\_\_

- कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्यक राहील.
- ४) बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.
- ५) सदर कामाची ई-निविदा करतांना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा करण्यात यावी.
- ६) कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी.
- ७) क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्यकतेनुसार प्रस्तावित कामाच्या किंमतीमध्ये अनावश्यक वाढ करण्यात येवू नये.
- ८) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल.
- ९) स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील.
- १०) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
- 99) रुग्णालयाचे नकाशे तपासून नकाशांमध्ये रुग्णालयासाठी आवश्यक ऑक्सिजन पाईपलाईन, एअर कंडीशनरसाठी जागा व त्यांच्या duct चे नियोजन, दिव्यांगांकरीता करावयाच्या सोयीसुविधा, त्या व्यक्तींसाठी रुग्णालयात करावयाचे पथ-वे इ. तसेच याबाबतची Functionality विचारात घेवून रुग्णालयाचे नकाशे सुधारीत करण्यात यावेत. तसेच रुग्णालय डिझायनिंग मधील तज्ञ व्यक्ती व रुग्णालयाशी संबंधित डॉक्टर व कर्मचारी यांचेशी चर्चा करुन त्यानुसार रुग्णालयाचे नकाशे सुधारित करण्यात यावेत.
- 9२) केंद्र शासनाकडून निर्गमित IPHS च्या २०२२ च्या मार्गदर्शक सुनचांनुसार अंदाजपत्रकामध्ये सुधारणा समाविष्ट करुन प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीच्या मर्यादेत राहून इमारतीचे बांधकाम करण्यात यावे.
- 9३) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ व शासकीय इमारती यांच्या अनुज्ञेय मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा करण्यात यावी.
- १४) क्षेत्रियस्तरावर सदर बांधकामाचा संबंधित उपसंचालक आरोग्य सेवा व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी वेळोवेळी आढवा घ्यावा.
- १५) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.बीडीजी२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करावी.
- १६) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर कामाच्या निविदा सुचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात.
- 3. सदर कामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच-८, "मुख्य लेखाशिर्ष ४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजिनक आरोग्य, ०१ नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य), १९०- रुग्णालये व दवाखाने, (१) (अ) पंचवार्षिक योजनाअंतर्गत योजना-इमारती, (००) (०१)- मोठी बांधकामे (४२१० ००१४), ५३ मोठी बांधकामे" या लेखाशिर्षामधून भागविण्यात यावा.
- ४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शा.नि. क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम,

\_\_\_\_\_

भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात तसेच मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिनांक ०३.०७.२०२४ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०११७३४११६११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

## (कविता पिसे) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १. महालेखापाल,( लेखा व लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर.
- २. आयुक्त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई
- ३. जिल्हाधिकारी,हिंगोली
- ४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई.
- ५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई
- ६. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा),आरोग्य सेवा, पुणे.
- ७. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे.
- ८. उपसंचालक, आरोग्य सेवा छत्रपती संभाजी नगर मंडळ, छत्रपती संभाजी नगर .
- ९. जिल्हा कोषागार अधिकारी,हिंगोली
- १०.जिल्हा शल्य चिकित्सक, हिंगोली
- ११.विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १२.कार्यासन अधिकारी ( अर्थसंकल्प ), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई.
- १३.निवडनस्ती(आरोग्य-४), सा.आ.वि.

"परिशिष्ट- उन"

# शासन निर्ण के. प्रामा-२०१४ प्र. इ. २१४ शिराराभ्य-४, १९.०६.७७.२०२४

|      | ne of Work : Expansion of 60 Bedded Womans<br>Dist - Hingoli. |                      |   |              |                |              |
|------|---|----------------------|---|--------------|----------------|--------------|
|      | cuting Agency: Public Works Department                        |                      |   |              |                |              |
|      | d Availability : Yes  |                      |   |              |                |              |
| Arch | nitect : Government   |                      | and the second second second second     |              |                |              |
|      | RI  | ECAPITULA            | TION SH                                 | FFT          |                | 75           |
| Sr.  | Particulars of Scope  | Particulars of Scope |   | Rate Norms   | Cost Rs.       |              |
| No.  |   |                      | Rs Per (Sqmt./ Meter/<br>LumpSum etc.)  |              | Component      | Total        |
|      |   |                      |   |              | Wise           | Total        |
| (A)  | ESSENTIAL ITEMS (Components)                                  |                      | 1                                       |              |                |              |
| 1    | Building proper (Built Up Area - Sq.m)                        |                      |   |              |                |              |
|      | Cost for Expansion of Hospital                                | 5985.51              | Sq. M                                   | 28,000       | 16,75,94,280   |              |
|      | Total B.U.A. =  | 5985.51              |   |              | Sub Total (A1) | 16,75,94,280 |
| 2    | Electrification   | Internal             |   | 5% of (A1)   | 83,79,714      |              |
|      |   | External             |   | 6% of (A1)   | 1,00,55,657    |              |
|      | Fire Fighting Arrangements etc.                               |                      |   | @800/Sq.mt.  | 47,88,408      |              |
|      | Lifts   | 1                    |   | 25,00,000    | 25,00,000      |              |
|      | Pump house, bore well etc                                     |                      |   | L.S.         | 5,00,000       |              |
|      | CCTV  |                      |   | L.S.         | 2,00,000       |              |
|      |   |                      |   |              | Sub Total (2)  | 2,64,23,779  |
| 3    | Water Supply & Sanitary Works                                 |                      | 5% of (A                                | 1)           | Sub Total (3)  | 83,79,714    |
| 4    | Furniture   | 4189.86              | Sq. M                                   | 5000         | Sub Total (4)  | 2,09,49,285  |
|      |   |                      | *************************************** |              | Sub Total (A)  | 22,33,47,058 |
| (B)  | MISCELLANEOUS ITEMS   |                      |   |              |                |              |
|      | Compound Wall & Gate (Rmt.)                                   | 100.00               |   | 8,000        | 8,00,000       |              |
|      | Water Main Storage  | 100000               | Litres                                  | 23           | 23,00,000      |              |
|      | Internal road, Land Development, Parking,                     |                      | 4.5% of (A1)                            |              | 75 41 742      |              |
|      | Land Scaping, Soil Investigation etc.                         |                      | 4.5                                     | 170 OI (A I) | 75,41,743      |              |
|      | Retaining Wall  |                      |   | L.S.         | 25,00,000      |              |
|      | Sub Total (B)   |                      |   |              |                | 1,31,41,743  |
|      | Project Cost (P)= (A) + (B)                                   |                      |   |              |                | 23,64,88,80  |
| (C)  | PROVISIONS  |                      |   |              |                |              |
|      | (i) Contingencies 4% on (sub total A1) 67,03,771              |                      |   |              | 67.03.771      |              |
|      | (ii) GST 18% on (P)   |                      |   |              | 4,25,67,984    |              |
|      | (iii) Price Escalation 5% on (P)                              |                      |   |              | 1,18,24,440    |              |
|      |   |                      |   |              | 23,64,888      |              |
|      | Sub Total (C)   |                      |   |              |                | 6,34,61,08   |
|      | TOTAL PROJECT COST (TPC) (A+B+C)                              |                      |   |              |                | 29,99,49,88  |
|      | Say Rs. Lakhs 2999  |                      |   |              |                | .50          |
| 1    | Bldg Civil (A1) Bldg Civil, Elect, Water Supply, Furniture (  | A)                   | `= Rs<br>`= Rs                          |              |                |              |
|      | Total (A+B) = Rs 39,510 /Sqm                                  |                      |   |              |                |              |

Colonian 2007/24